

जोवन परिचय

संरक्षण क्रमांक :- 12

80 वर्षीय सुरेश चन्द्र दूबे का जन्म 26 मार्च 1926 को मध्य प्रदेश के देवास जिले में हुआ। विद्यार्थी जीवन से ही गौंधी जी के चर्खा आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी के साथ स्थानीय समस्याओं के निवारण हेतु जन जागृति अभियानों का आयोजन, प्रजा मण्डल संस्थापक सदस्य के रूप में देवास में सक्रिय योगदान, तत्पश्चात देवास में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में संस्थापक सदस्य की हैसियत से सक्रिय योगदान, शासकीय कर्मचारी संघ की स्थापना कर उनकी समस्याओं के निवारण में अग्रणी भूमिका, 1942 में स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भूमिका।

वर्तमान में इन्दौर में सम्पूर्ण क्रान्ति अध्ययन मण्डल, पत्रकार संगठन, गृह निर्माण सहकारी संस्था के संस्थापक सदस्य के साथ-साथ सामाजिक व समाजवादी गतिविधियों में आज भी सक्रिय भागीदारी।

पता:- सुरेश चन्द्र दूबे, 70 पत्रकार कालौनी, इन्दौर-452018

मध्य प्रदेश फोन नं. - 2565575

जीवन परिचय

संरक्षक क्रमांक :-05

कर्मयोगी डॉ. मदन मोहन चोपड़ा- जन्म, 8 नवम्बर 1912. लाहौर. शिक्षा, बनारस एवं कलकत्ता, दस वर्ष की उम्र में जैन गुरुकुल, गुजरावाला में पढत हुए आन्दोलन में भाग एवं गिरफ्तारी, 1942, लाहार कॉंग्रेस अधिवेशन में विशेष संदेशवाहक, 1929, सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग, 1931-32, सदस्य, पंजाब प्रदेश कमेटी, 1936 बम्बई कॉंग्रेस अधिवेशन में भाग, 1942, भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग तथा गिरफ्तारी, 1942, अध्यक्ष, वार्ड कमेटी लाहौर, 1943, कश्मीर राज्य की रक्षा व्यवस्था में सरकार को महत्वपूर्ण योगदान, चीफ, ज्वाइंट डिफेंस आर्गनाइजिंग कमेटी, लाहौर, संस्थापक सदस्य, देश सेवक सेना, 1947, सदस्य, केन्द्रीय बोर्ड, पुर्नवास मंत्रालय, 1948, संस्थापक सदस्य, भारत सेवक समाज, 1953, जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड रिलिजियन कान्फरेंस, 1965-66, 1970-75, सेक्रेटरी जनरल, अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समिति, राष्ट्रपति के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित, 1970, ताम्र पत्र प्राप्ति, 1971, प्रकाशन तथा सम्पादन, क्रान्ति अंक, स्वाधीनता अंक, तथा अनेक कविताएँ, विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से आज भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।

पता:- डॉ. मदन चोपड़ा सी -2/117, जनकपुरी,

नई दिल्ली- 110028

-नेपाल आंदोलन

बजरंगलाल

अब तक दुनियाँ में दो प्रकार की शासन व्यवस्था अस्तित्व में हैं- 1 तानाशाही, 2 लोकतंत्र। तानाशाही शासन व्यवस्था में या तो सुव्यवस्था होती है या कुव्यवस्था। किन्तु तानाशाही में अव्यवस्था या स्वव्यवस्था नहीं होती। लोकतंत्र में न तो कुव्यवस्था संभव है न ही सुव्यवस्था। लोकतंत्र में या तो अव्यवस्था होगी या स्वव्यवस्था। अव्यवस्था सबसे खराब व्यवस्था मानी जाती है और स्वव्यवस्था। सबसे अच्छी। अर्थात् लोकतंत्र यदि विकृत हुआ तो वह तानाशाही से भी बुरे परिणाम देता है और यदि लोकतंत्र आदर्श हुआ तो वह रामराज्य से भी अधिक सुखद हो सकता है। दुनिया के देशों में अब तक स्वव्यवस्था का कहीं उदाहरण प्रस्तुत नहीं हुआ। स्वव्यवस्था का आंशिक स्वरूप पश्चिम के लोकतंत्र में दिखता है जहाँ लोकतंत्र स्व व्यवस्था की ओर झुका हुआ है। भारत में स्व व्यवस्था नाम मात्र भी नहीं है। दक्षिण एशिया के सभी देशों में लोकतंत्र का विकृत स्वरूप अर्थात् अव्यवस्था ही दिखाई देती है।

अव्यवस्था सबसे बुरी होते हुए भी तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्र अच्छा माना जाता है क्योंकि तानाशाही से मुक्ति हमारे हाथ में नहीं होती जबकि विकृत लोकतंत्र को स्वव्यवस्था अर्थात् लोक स्वराज्य में कभी भी बदला जा सकता है। तानाशाही से मुक्ति के लिये हिंसक बलिदान अवश्यभावी होता है। साम्यवादी तानाशाही से रूस में गोर्बाचोव के उदाहरण को छोड़ दे तो और कहीं भी बिना विद्रोह के तानाशाही से मुक्ति नहीं होती। किन्तु लोकतंत्र को आसानी से लोकस्वराज्य में बदला जा सकता है यद्यपि अब तक ऐसा इसलिये नहीं हुआ क्योंकि लोकतंत्र और लोकस्वराज्य के अंदर को स्पष्ट करती हुई कोई परिभाषा समाज के समक्ष नहीं आई। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य के नाम से और जयप्रकाश जी ने गांधी जी की सोच को बढ़ाते हुए लोकस्वराज्य के नाम से एक परिभाषा दी जो आगे नहीं बढ़ी। यही कारण है कि अव्यवस्था और स्वव्यवस्था के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकी। व्यवस्था परिवर्तन अभियान ने दोनों के बीच सीमा देखा खींच कर यह कमी दूर करने की कोशिश की है।

नेपाल एक तानाशाही देश है जहाँ राजशाही है। नेपाल में स्वव्यवस्था का तो प्रश्न ही नहीं उठता किन्तु अव्यवस्था भी बिल्कुल नहीं है। या तो वहाँ सुव्यवस्था है या कुव्यवस्था। वहाँ के आम नागरिक गुलामी के वातावरण में संतुष्ट जीवन जी रहे हैं क्योंकि गुलामी से मुक्ति का उन्हें कोई मार्ग भी नहीं दिख रहा और गुलामी से मुक्ति के बाद उन्हें अव्यवस्था का भी साफ खतरा दिखाई देता है। इन सब खतरों के बाद भी गुलामी से मुक्ति आवश्यक तो है ही। सदा के लिये गुलाम रहने की तो कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिये नेपाल में लोकतंत्र के लिये संघर्ष की शुरुआत हुई है और भारत सहित अनेक देश उनका बाहर से समर्थन कर रहे ह।

हम नेपाल के लोकतंत्र, आंदोलन पर तटस्थ विचार करें। अब तक दुनियाँ में जहाँ भी पेशेवर राजनेताओं के माध्यम से लोकतंत्र का संघर्ष हुआ वहाँ वहाँ सत्ता तानाशाहों के हाथ से निकल कर उन भूखे भेड़ियों के हाथ चली गई। आम नागरिकों को बदले में मिली अव्यवस्था। भारत, श्री लंका, बंगलादेश, अफगानिस्तान, आदि अनेक देशों की अव्यवस्था इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पाकिस्तान में लोकतंत्र के बाद आई मुशरफ की तानाशाही ने वहाँ के नागरिकों को राहत दिलाई है। इराक के लोग भी सद्दाम के शासन में आज की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित थे। इसके बाद भी किसी देश में लोकतंत्र के बाद तानाशाही के लिये जनमत संग्रह हो तो जनता तानाशाही को सर्व सम्मति से नकार देती है। इंदिरा जी ने आपात्काल की तानाशाही के माध्यम से अव्यवस्था पर नियंत्रण करने के बाद जब चुनाव कराये तो जनता ने तानाशाह इंदिरा को पूरी तरह नकार दिया और ढाई वर्ष बाद ही लोकतांत्रिक इंदिरा को फिर स्वीकार कर लिया। इससे यह सिद्ध होता है कि आम नागरिक गुलामी में लौट कर नहीं जाना चाहता क्योंकि एक बार गुलामी में प्रवेश के बाद मुक्ति के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। इसलिये नेपाल में जो लोकतंत्र के लिये आंदोलन हो रहा है उसका समर्थन ही किया जाना चाहिये विरोध नहीं। राजतंत्र या तानाशाही चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकती।

भारत की कुछ हिन्दूवादी शक्तियाँ नेपाल के राजतंत्र का समर्थन कर रही हैं। मैं नहीं समझ पाता कि वे किस आधार पर ऐसा सोचती हैं। यदि उनकी नजर में नेपाल में आदर्श हिन्दुत्व है तो क्या नेपाल के राजा महेन्द्र की परिवार सहित हत्या भी आदर्श हिन्दुत्व था?

फिर यह भी विचार करना होगा हिन्दुत्व की तानाशाही और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में से क्या वे तानाशाही का समर्थन ठीक मानते हैं? हिन्दुत्व की भावना में बहकर राजशाही का समर्थन हिन्दुत्व के लिये भी घातक सिद्ध होगा क्योंकि हिन्दुत्व तो पूरी तरह लोकस्वराज्य प्रणाली का समर्थक है तानाशाही का तो उसमें कोई स्थान है ही नहीं।

मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि नेपाल में राजशाही के विरुद्ध नक्सलवादी तानाशाही या लोकतांत्रिक आंदोलन पृथक पृथक संघर्षरत हैं। नक्सलवादी तानाशाही की जड़ें भी वहाँ मजबूती से जम चुकी हैं। यदि लाकतांत्रिक आंदोलन विफल हुआ तो हिंसक परिवर्तन स्पष्ट दिख रहा है। राजशाही अब वहाँ लम्बे समय तक चल नहीं सकती। ऐसे समय में वहाँ लोकतंत्र के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है भले ही उसके बाद अव्यवस्था ही क्यों न हो। अव्यवस्था के डर स राजा की तानाशाही या नक्सलवादी तानाशाही को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनैतिक हानि लाभ के आधार पर भारत सरकार का निर्णय चाहें जो हो किन्तु भारत की जनता को तो नेपाल के नागरिकों की गुलामी से मुक्ति का समर्थन करना ही चाहिये।

ख-1. श्री सुरेश चन्द्र दुबे 70 पत्रकार कालोनी, इन्दौर, मध्यप्रदेश

पुरानी सामन्तवादी पूंजीवादी और वर्तमान में यथा स्थितिवादी व्यवस्था बदलकर अपना व्यवस्था परिवर्तन बहुत बड़ा कार्य है। आपने इनका बीड़ा उठाया है। परन्तु इनका प्रचार अभियान नहीं के समान ठण्डा है। दिल्ली सम्मेलन में मैंने आपका ध्यान इस ओर आकषित भी किया था। स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। कृपया पत्रकार वार्ता और समय-समय पर प्रेस नोट आदि के जरिये कुछ देख-करें।

आपको जैसा कि बताया था कि पिछले दिनों सर्वोदय या सर्व सेवा संघ की आलोचना कर दी थी और जब तब इसे दोहरा भी देते हैं जो कहीं तक उचित है यह आपके लिये, अपने उक्त बड़े कार्य के संदर्भ में विचारणीय है। श्री दुर्गा प्रसाद जी आय ने आपके रवैये के प्रति असंतोष व्यक्त किया भी था। वैसे उनका सहयोग है भी। जहां तक मेरा सम्बन्ध है सम्मेलन में मैं सबके लिये नया था और प्रत्यक्ष में सब मेरे लिये नये थे। मेरा सर्वोदयी या सर्व सेवा संघ अथवा कांग्रेस आदि से सम्बन्ध नहीं है। परन्तु उक्त महान कार्य के सन्दर्भ में मैं इनके क्षेत्रों से मधुर सम्बन्ध बनाये रखने के पक्ष में सम्मति रखता हूँ।

संभवतः व्यवस्था परिवर्तन से कई कांग्रेसी विशेष कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि भी सहमत होंगे, जो आपकी नजर में होंगे। शायद इनके सहित सर्वोदयी या सर्व सेवा संघ, आजादी बचाओ आन्दोलन इलाहाबाद तथा जनवादी संगठन सुश्री मेधा पाटकर सहित श्रमजीवी संगठन, अन्य वर्ग संगठन आदि के नाम पते आपके पास होंगे या नहीं हो तो प्राप्त कर इन सबके प्रतिनिधियों से भी सम्पर्क बनाये रखने की कृपा करें व स्थानीय अपने कार्यकर्ताओं को उनसे सम्पर्क करने के लिये सूचित करने का कष्ट करें।

संविधान में संशोधन हेतु आप राष्ट्रीय बैठक/ सम्मेलन करने वाले थे। इस संबंध में संपर्क कहां तक है और दिल्ली से बाहर भी राष्ट्रीय स्तर पर सब संविधान विशेषज्ञ के व्यक्तियों से सम्पर्क करने का क्या कार्यक्रम है ताकि अपेक्षित सम्मेलन सफल हों।

“ ज्ञानतत्व ” में या इसके जरिये जो भी बहुमूल्य प्रस्ताव विद्वानों के आते हैं आर उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं इस आधार से टिप्पणी अथवा लेखादि तैयार करके समय-समय पर समाचार पत्रों (दैनिक, साप्ताहिक, आदि) में भेज सकें तो कृपया इसकी भी व्यवस्था करने का कष्ट करें ताकि नागरिकों की प्रतिक्रिया का पता चलने के साथ, अभियान का प्रचार भी होता रहे।

मैंने जा उक्त सुझाव दिये हैं उनमें किसी राजनैतिक दल से सम्पर्क करने का नहीं सोचा है (करें तो फिर सबसे करें और यह आपके विचार का प्रश्न है), परन्तु गैर राजनीतिक संगठन, और दल विशेष के तो जो व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में हो (वे इस हैसियत में डाक्टर, इंजीनियर, अभिभावक, उद्योगपति, व्यवसायी, श्रमिक, आदि) अभियान के सम्पर्क में रह कर सहयोग करें इस आशय से सुझाव दिया है।

उत्तर :- प्रचार अभियान अभी शुरू नहीं हुआ है। नवंबर निन्यानवे तक अनुसंधान तथा जनवरी पांच तक प्रयोग का काम चला। सितंबर पांच से व्यवस्था परिवर्तन अभियान शुरू हुआ है। इसके दो तरीके होते हैं (1) प्रचार के बाद कार्य (2) कार्य के बाद प्रचार। यदि हम प्रचार के बाद काम चाहेंगे तो हमें धन बल की मदद लेनी होगी हमारे लिये कठिन कार्य है। हम यदि काम के बाद प्रचार सोचते हैं। तो अब तक हम लोगों का काम प्रारंभिक चरण में होने से प्रचार की पृष्ठभूमि नहीं बनी है। मीडिया को खबर चाहिए। हम जब तक खबर नहीं बनेंगे तब तक मीडिया में प्रचार का प्रयत्न आंशिक परिणाम ही देगा। अतः यदि अब तक हमारा प्रचार नहीं बढ़ा है तो यह स्वभाविक है। ज्यों-ज्यों हमारा काम बढ़ेगा त्यों-त्यों प्रचार मिलेगा। संगठन का काम कर रहे हैं। ठाकुर दास जी बंग तो वैचारिक रूप से हमारे मार्गदर्शक हैं ही, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आदि के कई सर्वसेवा संघ के प्रमुख पदाधिकारी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं। हमारे लोक स्वराज्य मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्यभूषण जी भारद्वाज तथा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश आदमी जी सर्वोदय के ही हैं। हमारे लोक स्वराज्य आंदोलन के तीन सूत्र सर्वोदय के कालीकट सम्मेलन में पारित प्रस्तावत की ही है। आपने सर्वोदय के विषय में लिखा। मेरी जानकारी में सर्वोदय इस मुद्दे पर विभाजित है कुछ लोग गांधी विनोबा जयप्रकाश के ग्राम स्वराज्य का अर्थ गांव को निर्णय करने की अधिकतम स्वतंत्रता मनकर वर्तमान केन्द्रिय सत्ता प्रणाली का विरोध मानते हैं। ऐसे सभी लोग हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। सर्वोदय में एक दूसरा समूह ग्राम स्वराज्य का अर्थ आदर्श गांव मानकर शासन में सुधार आंदोलन चलाता है। ये लोग स्वदेशी, नशामुक्ति, धर्मनिरपेक्षता, साम्राज्य विरोध आदि विकेन्द्रीयकरण या अकेन्द्रीयकरण अधिक जोर देते हैं। यह गुट संघर्ष की अपेक्षा चरित्र निर्माण को अधिक उपयोगी मानता है। ये लोग विकेन्द्रीयकरण और अकेन्द्रीयकरण की भी चर्चा तो बीच-बीच में करते रहते हैं किन्तु इस दिशा में काम कुछ नहीं करते। इस समूह में सर्व सेवा संघ के अधिकांश पदाधिकारी हैं। दुर्गा प्रसाद जी आर्य विचार के रूप में विकेन्द्रीयकरण की प्राथमिकता स्वीकार करते हैं। किन्तु जब क्रिया को अवसर आता है तो संघ, अमेरिका विरोध, स्वदेशी, नशा मुक्ति से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। मेरे आकलन के अनुसार सर्वोदय के अधिकांश कार्यकर्ता गांवों को निर्णय करने की आजादी को ही ग्राम स्वराज्य का पहला चरण समझन लगे हैं। सर्व सेवा संघ के पदाधिकारियों ने ऐसे कार्यकर्ताओं के दबाव में कालीकट अधिवेशन में त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन अभियान का प्रस्ताव पारित करके उनकी हवा निकाल दी और उक्त प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डालकर फिर अपनी पुरानी राह पर चल पड़े। आश्चर्य है कि इनके ग्यारह सूत्रीय नये आंदोलन में उक्त तीनों सूत्रों में से एक भी शामिल नहीं है। यही कारण है कि हमें गांधी, विनोबा, जयप्रकाश को मानने वालों से यह निवेदन करना पड़ा कि गांव को निर्णय करने की अधिकतम स्वतंत्रता की मांग के लिये आंदोलन में वे शामिल हों भल ही पदों पर बैठे सर्वोदयी ऐसा न भी चाहें। मुझे खुशी है बड़ी संख्या में सर्वोदय कार्यकर्ता इस अभियान से जुड़ रहे हैं। संविधान संशोधन हेतु एक प्रारूप बनाना है। इस हेतु बनने वाली टीम के नाम तय होने शुरू हुए हैं। विस्तृत विवरण इस अंक में अन्यत्र है।

प्रश्न-ख-2. डॉ. अनुपम, नैनीताल, उत्तरांचल

ज्ञान तत्व एक सौचार में आपने कमलेश्वर जी के लिये बुद्धिजीवी साहित्यकार लिखकर समस्त साहित्य जगत का अपमान किया है। आजकल पारितोषिक प्राप्त करना एक व्यवसाय बन गया है। किसी राजनैतिक दल या राजनैतिक व्यक्ति के साथ जुड़कर उसे आसपस्थापित करें और वह आपको स्थापित कर देगा यही रहस्य है पारितोषिक और बुद्धिजीवी साहित्यकार बनने का। स्वतंत्र साहित्यकारों के लेख तो छपते ही नहीं। मैंने ज्ञानतत्व में भी न्यायपालिका के संबंध में एक लेख था किन्तु आपने भी नहीं छापा। मैं भी किसी राजनैतिक विचारधारा या व्यक्ति के साथ जुड़ जाऊँ तो आसानी से छप जाता।

उत्तर:- आपने कमलेश्वर जी के लिये जो कुछ लिखा उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग मिल जुल कर पारितोषिक की व्यवस्था करते हैं किन्तु सभी साहित्यकारों का ऐसा लांछन उचित नहीं। कमलेश्वर जी भी वैसे ही हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। आपका न्यायालय संबंधी लेख नहीं छपा क्योंकि हमारी पत्रिका साहित्यिक न होकर वैचारिक है। हम साहित्य के आधार पर चयन नहीं करते। आपके लेख में न्यायालयों की वर्तमान स्थिति का तो चित्रण था किन्तु समाधान नहीं। आप यदि समाधान सहित कोई सुझाव देंगे तो हम विचार करेंगे।

प्रश्न-ग-3. स्वामी मुक्तानन्द, साधुबेला आश्रम, हरिद्वार, और सम्पत्ति। इन तीनों में से किसी का भी संतुलन बिगड़ जावे तो समाज में समस्याओं का अंबार लग जावेगा। धर्म के तीन तत्व भक्ति ज्ञान और वैराग्य, सत्ता के तीन आधार दण्ड न्याय और संरक्षण तथा सम्पत्ति के भी तीन आधार समृद्धि पोषण और दान हैं। धर्म अज्ञान हटायेगा तो वैराग्य और भक्ति प्रकट होंगे, सत्ता अन्याय हटायेगी तो दण्ड आर संरक्षक की आवश्यकता ही नहीं रहेगी तथा सम्पत्ति कुपोषण हटायेगी तो समृद्धि और दान स्वयं प्रकट होंगे। समाज में ज्ञान, न्याय और पोषण का संतुलन अनिवार्य है। अज्ञान, अन्याय, और शोषण की जब सन्धि हो जाती है तब स्थिति और भी जटिल हो जाती है। दुर्भाग्य से आज यही हो रहा है। आवश्यकता यह है कि अज्ञान अन्याय और शोषण के विरुद्ध कोई संघर्ष शुरू हो जिससे ग्राम स्वराज्य का मार्ग खुले।

उत्तर:- मैं आपके कथन और निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हूँ किन्तु मैं राजनीति से दूर रहकर राजनीति पर नियंत्रण के प्रयास में व्यस्त हो चुका हूँ। इसलिये मैं ऐसी कोई पहल नहीं कर सकता। यदि आप कोई पहल करें तो मैं आपके प्रयत्नों का समर्थन करूँगा। व्यस्तता के कारण ऐसी पहल का नेतृत्व या सहयोग करना मेरे लिये संभव नहीं।

प्रश्न-घ-4. श्री रामप्रसाद मिश्र, एच 41 विकास पुरी, नई दिल्ली

उत्तर:- आपने वर्तमान स्थिति का जो चित्र खींचा है। वह यथार्थ है। निराशा का वातावरण भी स्वाभाविक है। समाधान अत्यन्त कठिन है किन्तु असंभव नहीं। रामायण काल में समुद्र पार करने के संबंध में विचार के लिये ही विचार था परिणाम के लिये नहीं। किन्तु समुद्र पार जाने के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं था इसलिये जामवन्त के आग्रह पर बजरंग बली ने हिम्मत की। वर्तमान स्थिति में संघर्ष के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं है। लम्बे समय तक तैयारी करने के बाद समाधान के प्रयत्न की घोषणा हुई है। प्रयत्नों की गंभीरता की जानकारी का अभाव आपको अपनी सामर्थ्य से परिणाम की तुलना के लिये मजबूर कर रहा है। हमारा कार्यालय दिल्ली में ही है। आप कभी हमारे कार्यालय आकर प्रयत्नों का प्रत्यक्ष आकलन करते और तब समीक्षा करते तो समीक्षा और अधिक यथार्थ परक होती। आशा है कि आप परिणाम का आकलन अपने प्रयत्नों के आधार पर करने की अपेक्षा हमारे प्रयत्नों के आधार पर करेंगे। अब युद्ध की अनिवार्यता स्वीकार की जा चुकी है। हमारी सेनाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी वर्ष के अंत तक युद्ध प्रारंभ होने की समय सारिणी घोषित हो सकती है। अब मुझे इस सलाह का कोई उपयोग नहीं है कि परिणाम क्या होगा। अब तो हमें इस आश्वासन की जरूरत है कि इस युद्ध में आपकी भूमिका क्या होगी। हम विश्वग्राम, वैश्विकता, भारत का वर्तमान संगठन, संविधान, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आदि में आमूल चूल परिवर्तन की शर्त पर संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हमने तो हमारे राजनेताओं से महाभारत युद्ध के पांचग्राम सरीखे सिर्फ चार सूत्रों के संविधान संशोधन मात्र पर समझौते की पेशकश की थी जिसके लिये उनके अस्वीकार ने संघर्ष की स्थिति पैदा की है। चार सूत्रों के संविधान संशोधन मात्र पर समझौते की पेशकश की थी जिसके लिये उनके अस्वीकार ने संघर्ष की स्थिति पैदा की है। चार सूत्रों में से भी यदि प्रथम अर्थात् प्रतिनिधि वापसी और द्वितीय अर्थात् परिवार गांव, जिले को संविधान में अधिकारों की सूची पर भी सहमति बनती है तो हम फिर से विचार कर सकते हैं अन्यथा व्यवस्था परिवर्तन के लिये अहिंसक और संवैधानिक संघर्ष अवश्यभावी है। आपसे अपेक्षा है कि इस संघर्ष में अपनी भूमिका पर गंभीर विचार करें।

—5. श्री रामसेवक गुप्त, रामानुजगंज, सरगुजा, छत्तीसगढ़ मेनका गाँधी भारत की कुछ प्रमुख राजनेताओं में से एक है। वे समय पर पशु-पक्षी, वन्यजीव तथा पर्यावरण के संबंध में गंभीर प्रश्न उठाती हैं। पहले उनकी बात अधिक सुनी जाती थी किन्तु अब उनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं किया जाता है। क्यों?

उत्तर:- कुछ लोग अपनी योग्यता से आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य जोग किसी अन्य आधार पर आगे बढ़ने के बाद योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो न स्वतः योग्य होते हैं न ही वे पद प्राप्त करने के बार योग्य बन पाते हैं बल्कि वे पद के लिए बोज़ बने रहते हैं। मेनका गाँधी तीसरी श्रेणी में आती हैं। नेहरू जी ने अपनी स्वतः की क्षमता से पद प्राप्त किया और देश का नेतृत्व किया। इंदिरा, राजीव, संजय, और सोनिया गाँधी ने नेहरू परिवार के नाम पर महत्वपूर्ण दायित्व प्राप्त किया और धीरे-धीरे अपनी योग्यता प्रमाणित की। मेनिका गाँधी एक ऐसी महिला हैं जिनमें स्वयं की तो योग्यता शून्य थी ही, नेहरू परिवार के नाम पर दायित्व मिलने के बाद भी क्षमता एकत्रित करने में बिल्कुल असफल रहीं। उन्हें केन्द्र सरकार में मंत्रिमंडल में सभी स्थान दिया गया किन्तु वे व्यवस्था के लिए सिर दर्द ही बनी रहीं। मैं नहीं कह सकता कि उनका पशु पक्षी प्रेम भवात्मक है या कुछ करक सुखियों में बने रहने का सोचा समझा नाटक। किन्तु मैं इतना आवश्यक कह सकता हूँ कि मेनका गाँधी क पशु पक्षी समाज की सामूहिक उत्तर दायित्व व्यवस्था के बिल्कुल विपरित है। मेनका जी को अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक आधार पर पशु पक्षी प्रेम की अति पर लगाम लगानी चाहिए। यह तो राजग की मजबूरी है कि नेहरू इंदिरा परिवार की काट के लिए मेनका जी को अपने सिर पर ढोना पड़ रहा है अन्यथा यदि योग्यता को मापदण्ड बनाकर चला जाता तो राजग पहले ही उनसे छुटकारा पा लेता। मेनका गाँधी के पशु पक्षी प्रेम की अतिवादी घाषणाओं ने कई जगह अव्यवस्था पैदा की। यही कारण है कि आज समाज के किसी क्षेत्र में उनके कथन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मेनका जी जितनी जल्दी समझें उतना ही अच्छा है।

6. श्री एम.एस.सिंगला, बैंक कालोनी, नाका मदार, अजमेर, राजस्थान। ज्ञान तत्व मिल रहा है। आपके उत्तर सुविचारित होते हैं। किन्तु कई बार ऐसा लगता है कि आप खानापूर्ति के लिये उत्तर देते हैं। संविधान संशोधन के चार विन्दुओं में अब कोई और विन्दु नहीं जुड़ेगा, यह बात समझ से परे है। राजनीति बाजों को उनकी ही करतूतों से घेरना चाहिये।

राजनेताओं के मन में समाज का भय बिठा सकें तब तो ठिक किन्तु भय बैठेगा कैसे? भय बिठाने का उपयुक्त मुद्दा तो भ्रष्टाचार नियंत्रण है और वही मुद्दा आप छोड़ रहे हैं। मैं यद्यपि बहुत आशावान नहीं हूँ किन्तु आपके साथ हूँ।

उत्तर:- आंदोलन में चार प्रकार के लोगों से सम्पर्क होता है (1) जो पहले आंदोलनकर्ता के सम्बन्धों के आधार पर जुड़ते हैं आर बाद में विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। (2) जो पहले विचार को समझ लेते हैं बाद में जुड़ते हैं। (3) जो जुड़े तो रहते हैं। किन्तु विचार को कभी नहीं समझते (4) जो विचार तो समझते हैं किन्तु जुड़ते नहीं। सबकी अपने अपने ढंग से उपयोगिता है। सबको मिलाकर ही आंदोलन खड़ा होता है। आप हमारे आंदोलन से जुड़े हैं यह खुशी की बात है।

आपने भ्रष्टाचार को आंदोलन का मुद्दा न बनाने का आरोप लगाया जो पूरी तरह गलत है। सत्ता यदि ठीक हो तो भ्रष्टाचार रोकती है और यदि सत्ता गलत हो तो भ्रष्टाचार बढ़ती है। आप सत्ता के माध्यम से भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास की बात करके विपरीत दिशा में जाने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि सत्ता भ्रष्टाचार बढ़ा रही है और सत्ता का अधिकार मजबूत होना भ्रष्टाचार के और अधिक अवसर पैदा करेगा। व्यवस्था परिवर्तन अभियान सत्ता के अधिकारों को विकेंद्रित कर देगा जो भ्रष्टाचार के अवसर कम करने में सहायक होगा। हमारा पूरा अभियान भ्रष्टाचार के ही विरुद्ध है।

प्रश्न-च 7. श्री अमरनाथ भाई, अध्यक्ष सर्व सेवा संघ

आपने चार मुद्दों पर व्यवस्था परिवर्तन अभियान शुरू किया। ये मुद्दे बिल्कुल ठीक हैं। हमें मुद्दों पर कोई आपत्ति नहीं। किन्तु समय समय पर आप कुछ गलत बोल जाते हैं। जो हमें फिर से सोचने को मजबूर कर देता है। जैसे

(1) आप बोल देते हैं कि मैं पूरी तरह अहिंसक हूँ और रहूँगा। आंदोलन भी अहिंसक ही होगा। किन्तु दो हजार नौ तक व्यवस्था परिवर्तन में सफलता नहीं मिली या निकट भविष्य में सफलता के लक्षण दिखने बंद हो गये तो मैं बंदूक के मार्ग पर भी सोच सकता हूँ। आपका यह कथन गांधी की सोच के विपरीत है और हम इसका समर्थन नहीं कर सकते।

(2) आप बोलते हैं कि इस आंदोलन में साम्प्रदायिक विचारों के लोग भी शामिल हो सकते हैं। विचारने की बात यह है कि हम गांधीवादी लोग साम्प्रदायिक तत्वों के साथ एक मंच पर कैसे बैठ सकते हैं?

(3) आप स्वदेशी शीतल पेय और स्वदेशी साबुन के आंदोलन की यह कहकर खिल्ली उड़ाने हैं कि जब देश का संविधान ही स्वदेश नहीं है तो स्वदेशी पेय और साबुन कितना समाधान करेंगे। हम लोग स्वदेशी आंदोलन में कार्य कर रहे हैं और हमें आपके उक्त कथन से कष्ट होता है।

(4) आप शराब गांजा और वेश्या वृत्ति को अपराध न मानकर अनैतिक मानते हैं। हम इन कार्यों को अपराध मानते हैं।

(5) आपने प्रस्ताव किया है कि आंदोलन में व्यक्तिगत चरित्र का कोई मापदण्ड नहीं बनाया जायगा। हम गांधीवादी तो चरित्र को बहुत महत्व देते हैं।

आपके ये विचार या कथन हमें संकट में डाल देते हैं। हमें बहुत सोचना पड़ रहा है कि हम इन प्रश्नों पर चर्चा हुए बिना इस आंदोलन से कैसे जुड़ें?

उत्तर:- आपने लम्बे समय तक मुझे उचित मार्ग दर्शन किया है। रामानुजगंज के प्रयोग में आपका भरपूर सहयोग मिला। आपने गांधी को समझने में भी मेरी भरपूर सहायता की। मैं मानता हूँ कि आप सब लोगों के चरित्र पर मुझे कोई शंका नहीं। किन्तु दस पंद्रह वर्षों की गहन मंत्रण के बाद भी मैं गांधी को उस तरह नहीं समझ सका जैसा आप समझते हैं।

(1) मैंने गांधी को इस रूप में समझा कि गांधी गांव को निर्णय करने की आजादी को पहला लक्ष्य मानते थे। गांधी न क्या कहा था इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि गांधी क्या करते। इसलिये मैंने स्पष्ट देखा कि गांधी गांवों को निर्णय करने की आजादी से जुड़ा है, नशा मुक्ति और ग्राम स्वावलम्बन तो उसके सहायक कार्य हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि अहिंसक और संवैधानिक तरीके से लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मैं पूरी तरह अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध हूँ किन्तु यदि अहिंसा और गुलामी में से एक चुनना हुआ तो अहिंसक गुलामी की अपेक्षा हिंसक स्वतंत्रता को वरीयता दूंगा क्योंकि मेरा गांधी कायरता की अपेक्षा हिंसा को कम खराब मानता है। मैं अब सत्तावन वर्षों की गुलामी और कायरता को लम्बे समय तक नहीं झेल सकता।

(2) मैंने यह कहा है कि इस इस आंदोलन में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है जो चार सूत्रों को आधार बनाकर आंदोलन करने के लिये सहमत हो। उसके अन्य मुद्दों पर विचार या सक्रियता इस आंदोलन से जुड़ने में बाधक नहीं बनेगी। ग्रंधी जी पूरी तरह अहिंसक भी थे और गोभक्त भी, किन्तु गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन से गोभक्ति को कभी जोड़ कर नहीं रखा। जय प्रकाश जी के आंदोलन में भी ऐसी सभी ताकतें एक साथ एक मंच पर काम कर रहीं थीं। अब हमारा आंदोलन इस मामले में अधिक सतर्क है। हम किसी साम्प्रदायिक शक्ति से जुड़ कर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने यह तय किया है कि इस आंदोलन की सदस्यता व्यक्तियों को दी जायगी, संगठनों को नहीं। किन्तु व्यक्ति के साम्प्रदायिक या धर्म निरपेक्ष होने के संबंध में हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

(3) मैं स्वदेशी शीतल पेय और स्वदेशी साबुन के प्रयोग का पक्षधर हूँ। मैं स्वदेशी का अर्थ स्थानीय मानता हूँ भारतीय नहीं। मेरी मान्यता है कि गांवों को यह अधिकार दिया जाय कि वे बाहर की वस्तुओं के अपने ग्राम सीमा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकें। यह अधिकार गांवों को हो न कि केन्द्र या प्रदेश को। किन्तु मैं प्राथमिकता के आधार पर हिंसा और आतंकवाद के विरुद्ध आंदोलन को कोकाकोला और विदेशी साबुन से अधिक महत्व पूर्व मानता हूँ। गांवों को निर्णय की आजादी को मैं और भी अधिक महत्व पूर्ण मानता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना नहीं। आप सबके इस तरह के स्वदेशी आंदोलनों से मुझे कष्ट होता है जिसकी कभी कभी अभिव्यक्ति हो जाती है। मैं तो चाहता हूँ कि हम और आप बैठकर ऐसे आपसी कष्टों से बचें और बैठकर विचार करें कि स्वदेशी साबुन कहा। बैठकर जो भी निर्णय होगा मैं मानूंगा।

(4) अपराध और अनैतिक का अंतर न समझने के कारण यह भ्रम होता है। मेरा कोई कार्य मेरे लिए अहितकर है ऐसा कार्य अनैतिक या गैर कानूनी हो सकता है अपराध नहीं। किन्तु मेरा कोई कार्य किसी दूसरे पर आक्रमण या अहितकर है तो वह पराध है। आत्महत्या और हत्या के अर्थ भी भिन्न हैं और प्रभाव भी। आत्महत्या अनैतिक है, गैर कानूनी है किन्तु अपराध नहीं। अत्या अनैतिक भी है, गैर कानूनी भी और अपराध भी। आत्महत्या की अपेक्षा हत्याएँ रोकने को प्राथमिक माना जाना चाहिए। मैं अब भी मानता हूँ कि गांजा, शराब, वेश्यावृत्ति गैर कानूनी हैं अपराध नहीं। मिलावट, बलात्कार और आतंकवाद गैरकानूनी भी और अपराध भी। और किसी का कमान किराये पर लेकर खाली

न करना गैर कानूनी तों नहीं हैं। किन्तु मेरी नजर में अपराध है। अपराध और कानूनी को राजनीति शास्त्र से नहीं, समाजशास्त्र के अधार पर समझने की जरूरत है।

(5) समाज में नेतृत्व करने वालों की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी अनुशरण करने वालों की। यदि विचारों की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्वपूर्ण मानें तो काम चल जायेगा किन्तु नेतृत्व करने वाले यदि विचारों की अपेक्षा चरित्र को मापदण्ड बनायेंगे तो कठिनाई होगी। चरित्र आचरण का विषय है नियम कानून का नहीं। चरित्र समझा बुझाकर स्थापित हो सकता है, कानून बनाकर नहीं। जबसे हमने चरित्र निर्माण को कानून का विषय बनाया है तबसे हम समाज से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेताओं का अच्छा चरित्र होगा तो हमारे आंदोलन को सुविधा होगी। किन्तु चरित्र के मामले में कोई मापदण्ड बनाना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम समाज के सामान्य लोगों से चरित्र की दूरी को आंदोलन के साथ न जोड़े तो अच्छा होगा। चरित्र को सुधार के माध्यम तक ही रहने दें।

मेरी दो प्रकार की भूमिकाएँ हैं (1) व्यवस्था परिवर्तन अभियान के प्रमुख के रूप में चार सूत्रीय संविधान संशोधन अभियान/आंदोलन (2) ज्ञान यज्ञ मंडल के प्रमुख के रूप में अन्य सभी विषयों पर विचार मंथन। दोनों भूमिकाएँ बिल्कुल भिन्न हैं और कार्य प्रणाली भी भिन्ना हैं। आपने जो पांच प्रश्न उठाये हैं वे किसी भी रूप में व्यवस्था परिवर्तन अभियान से जुड़े हैं जिन पर हो सकता है कि मेरे विचार गलत हों या यह भी संभव है कि मेरे मेरे विचार ठीक हों, आपके गलत। यह भी संभव है कि कुछ मुद्दों पर असहमत हों जो मुद्दे चार सूत्रीय अभियान या आंदोलन के मुद्दे न हों तो हमें मिलकर काम करने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्न—छ (8) श्री कृष्ण चन्द्र सहाय, मानद सचिव, गांधी शांति प्रतिष्ठान, B 25 प्रतापनगर, आगरा—10

आज लोक स्वराज मंच कार्यलय दिल्ली में आपके प्रेम और स्नेह के कारण आने का अवसर मिला। आना सफल रहा क्योंकि विगत महीनों से मेरी पत्नी की गंभीर बीमारी के कारण इधर—उधर रहा तो डाक समय पर कतल नहीं पायी इस कारण कई महत्वपूर्ण जानकारियों से अनभिज्ञ रहा। आपका लेख पढ़ने को मिला। आपने जो भी लिख सत्य लिखा है। कि फिर आप जैसे स्वतेज व्यक्ति को इस प्रकार का लिखने का अधिकार है गांधीवादियों को इस लेख पर गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन करना चाहिये। मैं सब कुछ जानते हुये भी लिख नहीं सकता था क्योंकि मेरी एक मर्यादा है आप उसमें अगें हैं इस लिए आपको लिखने का अधिकार है हमें तो आपका लेख बहुत अच्छा जगा।

विचार मतभेद हो जाते हैं, लेकिन आपकी नियत पर कोई आक्षेप नहीं लगा सकता है। कई प्रश्नों पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ फिर भी आपका आदर और सम्मान करता हूँ। एक व्यक्ति निकल कर संविधान बदलने के लिये अपना सर्वस्व बलिदान कर रहा है। अब जब भी दिल्ली आरुंगा। आपके कार्यालय जरूर आया करुंगा क्योंकि आपसे मिलकर नई—नई जानकारी मिलती है।

उत्तर :- आपका पत्र मिला। आपने ज्ञान तत्व में एक वर्ष पूर्व प्रकाशित मेरे लेख “ गांधी, गांधीवाद और गांधीवादी ” को किसी गांधीवादी से हटकर गांधी के रूप में पढ़ने, समझने और समीक्षा करने का प्रयत्न किया यह आपकी हिम्मत का काम है अन्यथा आनेक तथा कथित गांधीवादियों ने तो मेरे उक्त लेख का बहुत बुरा माना था। आपने गांधी और उसके बाद के ग्राम स्वराज्य पर उठे भ्रम पर मेरे विचार जानने चाहे हैं। मेरी समझ में गांधी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता को लक्ष्य माना था और अहिंसा को मार्ग। स्वतंत्रता के बाद गांधी स्वराज्य को लक्ष्य मापकर चलना चाहते थे और संविधान में गांवों को निर्णय करने की आजादी देकर गांधीवादियों को लोग सेवक के रूप ग्राम व्यवस्था में लगाने के पक्षधर थे। सत्ता से जुड़े लोगों के एक गुट ने गांधी की हत्याकर दी और दूसरे गुट ने गांधी हत्या का लाभ उठाकर देश की सारी सत्ता राजनेताओं के हाथों में केंद्रित करके संविधान में गांवों को अगूठा दिखा दिया। उन्होंने गांधी जी के वास्तविक अनुयायियों को सत्ता से दूर कर दिया और उनकी संस्थाओं को जमीन, मकान, धन और सम्मान देकर उन्हें समाज निर्माण में लगा दिया गया। उन्हें यह समझा दिया गया कि खादी ग्रामोद्योग, ग्राम स्वलम्बन, नशामुक्ति, साक्षरता आदि ही ग्राम स्वराज्य हैं। भोले—भाले गांधीवादी सत्ता सीन नेताओं के बहकावे में आ गये और सरकारी धन जमीन भवन को कंधे पर लादकर समाज निर्माण की दिशा में चल पड़े। ये आज तक उसी दिशा में चल रहे हैं। इन चरित्रवानों को कुछ ऐसा धोखा दिया गया कि इन्होंने सत्ता को निष्कंटक छोड़ दिया।

लोगो ने अलग—अलग पार्टियों व राजनेताओं का सत्तारूढ़ किया, लेकिन उन्हे निराशा ही हाथ लगी, इसलिये लोग अब वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। जिसका लाभ लेकर नक्सलवाद तेजी से फैल रहा है। यदि वर्तमान डेमोक्रेसी की जगह जल्दी ही लोक व्यवस्था नहीं बनाई गई तो पूरे देश में नक्सलवादी शासन होना तय है, जिससे स्थिति और खराब हो जायेगी। इसलिए हमने अपना लोक स्वराज्य अभियान तेज कर दिया है और हम सन् 2009 ते देश में निश्चित ही लोक स्वराज्य व्यवस्था स्थापित कर लेंगे।

व्यवस्था परिवर्तन के नारे

हम सुधरेंगे तीन सुधारे नेता, कर, कानून हमारे

नता बेलगाम हैं, संत गुरु नाकाम हैं।

हम सब आज गुलाम हैं।

अपराधी खुलेआम हैं।

अब स्वराज्य का नारा दो, हम पर राज्य हमारा हो।

व्यवस्था परिवर्तन अभियान

गति और प्रगति

2,3 व 4 सितम्बर को राजेन्द्र नगर में हुए वार्षिक सम्मेलन के पश्चात देश भर से आए प्रमुख प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक व्यवस्था परिवर्तन अभियान के एस—442 स्कूल ब्लाक, शक्करपुर दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय में श्री बजरंगलाल की आत्यक्षता में विगत 12—13 जनवरी 2006 को हुई। झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, एवं नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे इन चुनिन्दा साथियों ने गहन विचार विमर्श के पश्चात निम्न निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त की—

1. देशकी वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष जागरण पर हम विशेष ध्यान दें, समाधन की दिशा में किसी सक्रियता से यह मंच निर्लिप्त रहे। असंतोष जागरण के लिए वर्तमान व्यवस्था के गलत कार्यों के विरोध तक ही सीमित रहा जाय। विरोध के नाम पर अनावश्यक मुद्दे उठाने से बचें।

2. यह मंच शासन के अधिकारों का विरोध करेगा, आदेशों क विरोध तक सीमित नहीं रहेगा।

3. वर्तमान अव्यवस्था के कारणों में चरित्र की अपेक्षा नीतियों की चर्चा अधिक होगी। अपने कार्यकर्ताओं के आचरण के संबंध में भी काई सहिता नहीं बनेगी जब तक कोई बहुत विशेष बात न हो।

4. स्वराज्य और सुराज्य के बीच धुवीकरण बिल्कुल स्पष्ट और सीधा हो। जो लोग सत्ता के माध्यम से विकास की बात करते हैं, उन्हें विरोधी माना जायेगा क्योंकि जब अपराध अनियंत्रित हो तो विकास और चरित्र निर्माण शासन का काम नहीं, समाज का काम होता है।
5. समानता की नई परिभाषा प्रचारित कर " सक्षमों को समान स्वतंत्रता और अक्षमों को समान सुविधा। " सक्षम और अक्षम के बीच शासन अपनी क्षमता के अनुसार सीमा रेखा बना सकता है।
6. आंदोलन पूरी तरह अहिंसक और अधिकतम संवैधानिक तरीके से होगा।
7. वर्तमान समय में हमारा आंदोलन पूरी तरह जन जागृति तक केन्द्रित होगा। टकराव की स्थिति को हर हालत में टाला जायेगा
8. संविधान संशोधन के चार मुद्दे महसे प्रथम "प्रतिनिधि वापसी " और द्वितीय " परिवार, गांव, जिले, के अधिकारों को संविधान में शामिल करने को अन्य 2 मुद्दों " नीति-निर्देशक सिद्धांत वाध्यकारो होने और विदेशों से समझौतों की संसदीय स्वकृति " से अधिक महत्व दिया जायेगा।
9. व्यवस्था परिवर्तन अभियान में भविष्य में संगठनों की अपेक्षा व्यक्तियों को शामिल करने का अधिक प्रयास किया जायेगा। संगठन को जोड़ने के पूर्व गंभीर विचार संथन आवश्यक है।
10. मुख्य वचन '6 राजनीति से दूर रहकर राजनीति पर नियंत्रण का अद्भुत प्रयास " लिखा जाय। द इस पर चर्चा में कई सुझाव आयें, कुछ लोग प्रारंभ में दलगत शब्द जोड़ने के पक्ष में रहे। निर्णय अधुरा रहा, आगे फैसला होने तक स्थानीय समितियां दोनों में से कोई भी वाक्य लिख सकती है।
11. व्यवस्था परिवर्तन अभियान के बैनर तले 4 मुद्दों पर जनमत जागरण के अतिरिक्त अन्य किन्ही विषयों पर सेवा कार्य या आंदोलन को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी, किन्तु किसी अन्य बैनर तले कोई भी अन्य विषय उठाने में मंच के कार्यकर्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है।
12. सब सुधरेगा तीन सुधारे नेता, कर, कानून हमारे इस नारे को अधिक से अधिक प्रसारित किया जायेगा। सब कार्यकर्ता दीवाल लेखन, बोर्ड, बैनर, पोस्टर आदि का सहारा ले सकते है।
13. चार मुद्दों के अतिरिक्त अन्य मुद्दों पर विचार भिन्नता रख का कार्य करने की सबको पूर्ण स्वतंत्रता होगी। किसी के अन्य मुद्दे पर काम करने का वैचारिक विरोध किया जा सकता है, संगठनात्मक विरोध नहीं।
14. विरोध के लिए निम्न मुद्दे प्रेरक हो सकते है—
(1) सांसदों को दी जाने वाली सांसद निधि का विरोध (2) बिजली का असमान वितरण (3) साइकिल पर भारी कर लगाने का विरोध, (4) डिब्बा बंद सरसो तेल, आयोडीन युक्त नमक, हेलमेट सरीखे जनहित के मुद्दा को कानून द्वारा लागू कराने का शासन का अधिकार
15. हस्ताक्षरित संकल्प पत्र 2 या 3 अक्टूबर को किसी उपयुक्त संस्था को समारोह पूर्वक दिया जायेगा।

संगठन

1. पूरे देश को 100 परिक्षेत्रों में बाँटकर प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य को शामिल करके केन्द्रीय कार्यकारिणी का गठन करना है। हिमांचल, उत्तरांचल एक-एक, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा दो-दो कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात पाँच-पाँच बिहार सात, उत्तर प्रदेश में सोलह, परिक्षेत्र होंगे। अन्य प्रदेशों के भी इसी क्रम में परिक्षेत्र बनेंगे।
2. प्रत्येक परिक्षेत्र में एक कार्यकारिणी का गठन होगा जिसमें 100 सदस्य, एक अध्यक्ष, 10 उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष होंगे।
3. प्रत्येक परिक्षेत्र में उतने जिले शामिल किये जायेंगे जितने उस प्रदेश के आधार पर आवश्यक होंगे। परिक्षेत्र का परिसीमन लोकसभा क्षेत्रों के आधार पर न करके जिलों के आधार पर होगा।
4. केन्द्रीय कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य उस परिक्षेत्र में संकल्प पत्र भरवाने का भी संयोजक होगा।
5. न्यूनतम 10 परिक्षेत्रों के संगठन की व्यवस्था करने वाले कार्यकर्ता को राष्ट्रीय सह-संयोजक कहा जायेगा।
6. श्री अब्दुल भाई तमिलनाडु व श्री एम.एच.पाटिल कर्नाटक को सह-संयोजक श्री कैलाश जी को राष्ट्रीय महासचिव तथा श्री शिव दत्त तिवारी जी को कार्यालय सचिव का दायित्व दिया गया। आचार्य पंकज जी राष्ट्रीय हस्ताक्षर प्रमुख है। अब्दुल भाई जी, श्री पाटिल जी, कैलाश जी, तथा श्री शिव दत्त जी अपने अन्य दायित्वों के साथ-साथ हस्ताक्षर अभियान में भी सहायता करते रहेंगे।
7. एक अगस्त को लोकमान्य तिलक जयन्ती के अवसर पर तिलक जी के जन्म स्थान पूना महाराष्ट्र से व्यवस्था परिवर्तन अभियान यात्रा प्रारंभ होगी जो 2 अक्टूबर गांधी जयन्ती पर गांधी समाधि, राजघाट दिल्ली में समाप्त होगी। इस यात्रा में बजरंगलालजी, गोविंदाचार्यजी, तथा आचार्य पंकज जी से नेतृत्व करने का आग्रह किया जाय। यात्रा परिस्थिति अनुसार एक या एक से अधिक भी हो सकती है। सम्पूर्ण भारत के अधिकतम हिस्से को यात्रा से जोड़ा जायेगा। यात्रा में प्रतिदिन 2 स्थानों पर कार्यक्रम रखे जायें। प्रत्येक कार्यक्रम में तैयारी अनुसार बैठक, आमसभा, पत्रकार वार्ता का आयोजन हो सकता है। प्रत्येक कार्यक्रम में आयोजक गाड़ी खर्च हेतु 500 रूपया न्यूनतम आवश्यक रूप से देगा।

प्रश्न ज्ञान यज्ञ

1. चार मुद्दों के अतिरिक्त अन्य अनेक विषयों पर स्वतंत्र विचार मंथन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। प्रत्येक माह की 6,7,8 और 9 तारीख को दिल्ली में प्रतिदिन एक-एक विषय पर स्वतंत्र विचार गोष्ठी रखी जायेगी। विषय का चयन आयोजक करेंगे। विषयों में बजरंगलालजी द्वारा प्रस्तावित 160 विषयों में से किसी एक का भी चयन हो सकता है, तथा भिन्न विषयों का भी। चर्चा पूरी तरह स्वतंत्र विचार मंथन के रूप में होगी। प्रत्येक माह की 6 तारीख को मेवाड़ इन्स्टीट्यूट, वसुंधरा, गाजियाबाद, 7 को मयूर विहार फेज-1, 8 को मुखर्जी नगर, 9 को आर्य समाज मंदिर कनाट प्लेस में विचार मंथन सभा होगी !
2. केन्द्रीय कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य 15 स्थापित समाजशास्त्री व विचारकों की सूची कार्यालय को यथा शीघ्र देगा। इस सूची में सामाजिक चिंतक, राजनैतिक आर्थिक विद्वान, साहित्यकार, कलाकार, किसी विषय के विशेषज्ञ सहित ऐसे सभी लोग शामिल हो सकते हैं जो समाज में विश्वसनीय हो तथा संविधान की मूल भावना व भाषा पर विचार दे सकते हैं। शिक्षा शास्त्रियों, संविधान विदों, न्यायाधीशों, प्रमुख वकीलों, तथा स्थापित विचारकों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ऐसे विद्वान की टीम से निरन्तर विचार मंथन शुरू किया जायेगा।
3. ज्ञान यज्ञ मंडल इन विद्वानों में से न्यूनतम 1000 की टीम को लोक संविधान सभा घोषित करके दिल्ली में एक माह का सम्मेलन आयोजित करेगा। यह लोक संविधान सभा एक माह में भारतीय संविधान में प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप तैयार करके समाज को समर्पित करेगी। संविधान सभा के विचारक में मुख्य आधार बजरंगलाल के नेतृत्व में विचारकों द्वारा निकाले गये संविधान संशोधन प्रस्ताव तो होंगे ही, अन्य विद्वानों के प्रस्तावित संशोधनों को भी आधार बनाया जायेगा।

4. ज्ञान यज्ञ मंडल तथा व्यवस्था परिवर्तन अभियान के व्यय हेतु ज्ञान यज्ञ मंडल की संरक्षण सभा व्यवस्था करेगी। संरक्षण सभा में न्यूनतम 1000 रूपया वार्षिक दान देने वालों का सदस्य बनाया जाता है। केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य तथा अन्य कार्यकर्ता अधिक से अधिक संरक्षक सदस्य बनाने का प्रयास करेंगे। संरक्षण सभा के अध्यक्ष अशोक गाड़िया जी होंगे।
5. परिक्षेत्र समिति यदि व्यवस्था परिवर्तन अभियान के अर्न्तगत कोई धन संग्रह करती है तो संरक्षक सदस्यता को छोड़कर अन्य धन खर्च करने हेतु वह समिति स्वतंत्र होगी। केन्द्रीय कार्यालय उस आय-व्यय का कोई हिसाब नहीं मांगेगा।
6. परिक्षेत्र समिति ज्ञान तत्व के अधिक से अधिक ग्राहक बनाकर 500 रूपये आजीवन या 50 रूपया वार्षिक शुल्क कार्यालय को भेजेगी।
7. ज्ञान तत्व में लिखे गये बजरंगलाल के विचार उनके व्यक्तिगत हैं। व्यवस्था परिवर्तन अभियान से यदि भिन्न है, या आपकी असहमति हो तो आप उनका विरोध कर सकते हैं।

त्वरित कार्य

1. व्यवस्था परिवर्तन अभियान के प्रत्येक कार्यकर्ता से अपेक्षा है कि वह यथाशीघ्र संकल्प पत्र भरवाकर केन्द्रीय कार्यालय को पषित करें।
2. व्यवस्था परिवर्तन अभियान यात्रा के कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजे। जिससे आपके प्रदेश, परिक्षेत्र और शहर को भी सम्मिलित करने का प्रयास हो सके।
3. अन्य मुद्दे पर भी त्वरित सक्रियता आवश्यक है।

सांगठनिक प्रवास

12-13 जनवरी की बैठक के तुरंत बाद व्यवस्था परिवर्तन अभियान के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश आदमी ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात प्रांतों को दौरा कर वहाँ अभियान से जुड़े प्रमुख साथियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क किया। उन्होंने चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया कि आगामी 1 अगस्त से प्रस्तावित 60 दिवसय वाहन यात्रा के पूर्व अधिकतम संकल्प पत्रों पर हस्ताक्षर कार्य के साथ ही हर राज्य में परिक्षेत्रों के गठन एवं परिक्षेत्रों के अंतर्गत जिला संयोजकों की नियुक्ति का कार्य पूरा कर लिया जाए। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के जलगांव स्थित वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री माधव खुशाल राणे के कार्य को सराहनीय एवं प्रेरक बताते हुए कहा कि वहाँ संकल्प पत्र हस्ताक्षर अभियान के साथ ही संगठनात्मक कार्य तीव्र गति से चल रहा है उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रवासावधि में सर्व श्री राजा घाटचवरे (रायपुर), हिहर राम निर्माण (धमतरी) और डॉ. राधे श्याम शर्मा (साएथ झगराखंड) एवं मध्य प्रदेश प्रवासांतर्गत श्री आत्माराम शर्मा चातक (उमरिया) और श्री हुकुमपाल सिंह विकल (मोपा) से चर्चा कर संगठन एवं हस्ताक्षर अभियान को गति दिए जाने पर बल दिया। गुजरात राज्य के अभियान प्रमुख श्री जयंत शाह हस्ताक्षर अभियान एवं संगठनात्मक कार्य प्रारंभ करेंगे।

नोट:- ज्ञानतत्व ज्ञानयज्ञ मण्डल के विचार मंथन अभियान तथा व्यवस्था परिवर्तन के व्यवस्था परिवर्तन अभियान का संयुक्त विचार समाचार संग्रह है। यद्यपि यह पूरी की पूरी पत्रिका ज्ञान यज्ञ मंडल की है किन्तु व्यवस्था परिवर्तन अभियान क कोई पत्रिका न होने से उसके समाचार भी इसी में प्रकाशित होते हैं। यह व्यवस्था की गई है कि दोनो भाग अलग-अलग हों। पत्रिका का दूसरा भाग व्यवस्था परिवर्तन का है और पहला विचार मंथन का। पहले भाग में प्रकाशित विचारों का व्यवस्था परिवर्तन अभियान से कोई संबंध नहीं है क्योंकि वे विचार बजरंगलाल के व्यक्तिगत हैं तथा अब तक विचार मंथन के दौर में हैं। इन विचारों का आप खुला विरोधकर सकते हैं तथा विपरीत विचार लिख सकते हैं क्योंकि ये विचार व्यवस्था परिवर्तन अभियान के न होकर विचार मंथन अभियान के हैं। दोनों कार्यों की अलग-अलग सीमाएँ तय हैं। व्यवस्था परिवर्तन अभियान चार सूत्रीय संविधान संशोधन अभियान तक सीमित है। अन्य सभी विषय विचार मंथन के लिए स्वतंत्र रूप से खुले हैं।